

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai24@gmail.com

कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/1

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

सखुबा / सखु
देवार बस्ती नर्स 49
सुभाष मार्केट

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लेंगे या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

नोटिस लेने से द्वा
चस्पकर ताफिल दिपा 17/6/26

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/3

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

अशोक महोदय

20562 Man

देवार वस्ती

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by

Amar Nath Dubey

Date: 16-06-2026

17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

चक्रा. चरपाकल तपिल किपाडापा
17/6/26

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/20 भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

अनुमति प्राप्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

तालिका

नगर पालिक निगम, भिलाई
17/6/26

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilal@rediffmail.com, zonefourbhilal4@gmail.com

कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/2

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

अनिकेत कुण्ड / जम्माद
सो.नं. - 8858823/39
देनार बस्ती, नई क. 49

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

तालावेद
चरपा का तालिम किया गया
17/6/26

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai24@gmail.com

कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR /10

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

साहब / राकबर

सो. नं. - 9993819607.

देवार बस्ती, वार्ड क्र. 49

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, विलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्त की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by

Amar Nath Dubey

Date: 16-06-2026

17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

नोटिस लेने से इंकार

पेन्सिल से लिखा गया

17/6/26

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilal@rediffmail.com, zonefourbhilal24@gmail.com

कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/15

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

श्री. अरुण देवार / कमल देवारकार्यवाही

विषय:-

वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं - 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1958 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by

Amar Nath Dubey

Date: 16-06-2026

17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

नोटिस लेने से इन्कार
चस्प कल नमिलन किया गया
17/6/26

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilal@rediffmail.com, zonefourbhilal24@gmail.com

कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR /5

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

कलेक्ट्री / स्व. बेसु
देवार बस्ती, वार्ड क्र. 49
सुभाष मार्केट

विषय:- वार्ड क्र. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन क्र.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहरताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by

Amar Nath Dubey

Date: 16-06-2026

17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

सुभाष

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

1/10/26



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/23

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

श्री गणेशाय नमः / जवाहर 245
देवाट लक्ष्मी वाई 2.45

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लेंगे या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, विलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

श्रीमिन साहू

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/16

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

प्रति,

//नोटिस//

श्री ज्योति / रामलाल

विषय:-

वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

तालिका बंद

इस्पात कट तालिका दिखाया गया
17/6/26

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai24@gmail.com

कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/11

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

श्री. स्व. जयस
जो. नं. - 7289262202
देवा 2 नस्ती, वार्ड क्र. 49

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लेंगे या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

पायल

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/19

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती लक्ष्मी / सुकु
देवा वल्ली 987-55

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1958 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बंदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

नोटिस लेने से इन्कार

चप्पा कल तामिल किया गया

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilalz4@gmail.com

कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/14 भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

श्री ठाकुर पिंग स्व वतकी
देवर वल्ली सुभाष मार्केट
वार्ड 49-पु

विषय:-

वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुसीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1958 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई
भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुसीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

नोटिस लगे से हटाने
चुप्पा कर तमिल किया गया

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR 16

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

प्रति,

//नोटिस//

सादर श्रीनवानी/भूखंड, श्रीनवानी

सो. नं. - 626703/630

देवार बस्ती, वार्ड क्र. 49

विषय:-

वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुसीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लेंगे या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by

Amar Nath Dubey

Date: 16-06-2026

17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुसीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

नोटिस लेने से इकाई

चर्या का तामिल किया गया

17/6/26

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/7 भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

श्री. / सखी देवार,
सो. नं. - 9685227571,
देवार बस्ती, वर्ड क्र. 49

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by

Amar Nath Dubey

Date: 16-06-2026

17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

नोटिस को सहे इंकाल
न्यायालय समिल किया गया
17/6/26

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/24

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

श्री संप्रसाद शर्मा/अध्यक्ष
देवार कस्ती वार्ड-49

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

राजलुभारी वर्मा

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/12

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

ललिता / गरीब
देनार वस्ती, वार्ड कं. 49
सुभाष मार्केट

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by

Amar Nath Dubey

Date: 16-06-2026

17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

नोटिस लेने से इन्कार
-चस्प कट नामिल किया गया

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/22 भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती ललिता देवी/रूप आयुक्त शिवाजी नगर जोन 04

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लेंगे या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

ललिता देवी

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/17 भिलाई, दिनांक 16/06/2026

प्रति,

श्रीमती विद्या / अमजद

//नोटिस//

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लेंगे या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

तामिल

चंस्प कर तामिल किया गया
17/6/26

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefom bhilai@rediffmail.com, zonefom bhilai4@gmail.com

कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/8

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

शिव कुमार / सुनील
सो. नं. - 9685287571
देवार बस्ती, नई क. 49

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

ताला वद
चस्पाकल तालिल क्पिा गंवा

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilal@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/18

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

श्री शिवाजी नगर
द्वारा कब्जा दाखल

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

नोटिस लीने से हटा

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilal@rediffmail.com, zonefourbhilal24@gmail.com

कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR /4

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

श्रीमती नरुन / तैजराग,
सौ. नं. - 7382687128,
देवार बस्ती, बार्ड, ड. 49

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लें या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहरताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1958 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बंदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

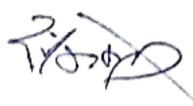
नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।



जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilal@rediffmail.com, zonefourbhilal24@gmail.com

कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/21 भिलाई, दिनांक 16/06/2028

//नोटिस//

प्रति,

श्री रमेश सिंह
फ्लोर एवरी वार्ड क्र. 49

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयान्वित एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुशीपार, भिलाई क्षेत्रान्वित वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लेंगे या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1958 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की तरफ़ी तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2028

पृ.कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो, नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुशीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष नगर पालिक निगम भिलाई
17/6/26

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilai24@gmail.com

कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/9

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

सविता / मोहेश देवार
स्ते.नं. - 8817383501,
देवार बस्ती, गेट नं. 49

विषय:- वार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत वार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लेंगे या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1958 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण बेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं./ GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

Ami (

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

शिवाजी नगर जोन 04

zonefourbhilai@rediffmail.com, zonefourbhilaiz4@gmail.com

कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR/13

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

//नोटिस//

प्रति,

मोहिया लिशान
देवार बस्ती, बार्ड क्र. 49
सुभाष मार्केट

विषय:- बार्ड कं. 49, सुभाष मार्केट क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आपके द्वारा जोन कं.- 04, शिवाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई क्षेत्रांतर्गत बार्ड कं.- 49, सुभाष मार्केट भिलाई इस्पात संयंत्र स्वामित्व की भूमि पर बेजा कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है।

तत्संबंध में नगर पालिक निगम, भिलाई व पुलिस विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान आपके द्वारा स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त अतिक्रमण/कब्जा को स्वयं से हटा लेंगे या उक्त स्थल का स्वत्व/कब्जे के समर्थन में वैधानिक दस्तावेज होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस के मामले में पारित निर्णय दिनांक-13.11.2024 का पालन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण वेदखली व सामग्री जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय की वसूली तथा कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Amar Nath Dubey
Date: 16-06-2026
17:37:20

जोन आयुक्त

शिवाजी नगर, जोन 04

नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 16/06/2026

पृ.कं. / GENS-11/20419/2026-ZONE04 REV SEC COMM MCB DUR

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त महो. नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नगर प्रशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भिलाई इस्पात संयंत्र को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. तहसीलदार, भिलाई नगर, को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. थाना प्रभारी, थाना-खुर्सीपार, को सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइट में अपलोड किये जाने पालनार्थ।

नोटिस लेने से इका

चल्यो व/तमिल विभाग

17/6/26

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर, जोन 04
नगर पालिक निगम, भिलाई

